Date - 22 April 2022

पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र

- हाल ही में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तिरुवनंतपुरम में नेय्यर और पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्यों के क्षेत्र को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) घोषित करने के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है।

नेय्यर और पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य

- ये दोनों वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी घाट में अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत शामिल हैं।
- ये वन्यजीव अभ्यारण्य समृद्ध जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं, जहाँ फूलों की 1000 प्रजातियाँ, 43 स्तनपायी प्रजातियाँ, 233 पक्षी प्रजातियाँ, 46 सरीसृप प्रजातियाँ, 13 उभयचर प्रजातियाँ, 27 समुद्री प्रजातियाँ पाई जाती हैं। लुप्तप्राय मिरिस्टिका स्वैम्प भी इसी संरक्षित क्षेत्र में स्थित है।

अधिसूचना के प्रावधान

- नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों के परामर्श से एक क्षेत्रीय मास्टर प्लान तैयार करना अनिवार्य है।
- ईएसजेड निगरानी के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति गठित की जाएगी।

अधिसूचना का विरोध

- विशेषज्ञों का मत है कि अधिसूचित क्षेत्र स्थानीय निकायों के सामान्य जीवन के साथ-साथ उनके विकास की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

Yojna IAS

- इस क्षेत्र में लगाए गए प्रतिबंधों से हिल हाईवे परियोजना सहित चल रही बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में बाधा आने की संभावना है।
- कृषि गतिविधियों में लगे किसानों को प्रतिबंधों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

ईएसजेड क्षेत्र क्या है?

- इन्हें पारिस्थितिक रूप से कमजोर क्षेत्र या पारिस्थितिक रूप से कमजोर क्षेत्र भी कहा जाता है। इन क्षेत्रों की अधिसूचना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। ये राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्र में स्थापित हैं।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत इन संवेदनशील क्षेत्रों में खनन, रेत उत्खनन, ताप विद्युत संयंत्रों के निर्माण आदि पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है|

ई.एस.जेड. क्षेत्र में प्रतिबंधित गतिविधियां

- 1 कि.मी. संरक्षित क्षेत्र। होटल और रिसॉर्ट सहित किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति अंदर नहीं है।
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गैर-प्रदूषणकारी के रूप में वर्गीकृत लघु उद्योगों को इन क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है।
- राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना जंगल या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि में कोई पेड़ नहीं काटा जा सकता है।
- इस क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन आदि गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं। साथ ही, नए उद्योगों और मौजूदा प्रदूषणकारी उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं है।
- इसके अलावा, इन क्षेत्रों में जलविद्युत परियोजनाओं, ठोस अपशिष्ट निपटान स्थलों, बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और पोल्ट्री फार्म, लकड़ी आधारित औद्योगिक इकाइयों और ईंट भट्टों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- क्षेत्र में खतरनाक पदार्थों का उपयोग या उत्पादन, प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्रों में अनुपचारित अपशिष्ट का निर्वहन, विस्फोटकों का निर्माण और भंडारण, जलाऊ लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग, नदियों में ठोस, प्लास्टिक और रासायनिक कचरे का डंपिंग और भूमि क्षेत्र, नदी तट पर अतिक्रमण रोका जाएगा।

विनियमित गतिविधियां

- इन संरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों को कृषि, बागवानी, डेयरी फार्मिंग और जलीय कृषि जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।
- इन क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन, जैविक खेती, कुटीर उद्योग, नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग, कृषि वानिकी, पर्यावरण के अनुकूल परिवहन, बागवानी और औषधीय वृक्षारोपण और पर्यावरण जागरूकता जैसी पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

Yojna IAS

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण

- हाल ही में, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) ने वरिष्ठ नागरिकों/पेंशनभोगियों जैसे आवेदकों के मामलों को सुलझाने के लिए न्यायाधिकरण की सभी 19 पीठों में एक विशेष अभियान चलाया।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण:

स्थापना:

- यह संविधान के अनुच्छेद 323ए के तहत स्थापित किया गया था।
- यह संघ के नियंत्रण में अन्य प्राधिकारियों के मामलों के संबंध में सेवा की शर्तों और सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती से संबंधित विवादों और शिकायतों के न्यायनिर्णयन का प्रावधान करता है।

कानूनी ढांचे:

- संसद ने संविधान के अनुच्छेद 323ए के तहत 1985 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया।
- अधिनियम केंद्र सरकार को एक केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) और राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है।
- पीड़ित लोक सेवकों को शीघ्र और वहनीय न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से इस अधिनियम द्वारा एक नया मार्ग प्रशस्त किया गया।
- कैट की स्थापना राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुई थी।
- बेंच/बेंच: पूरे भारत में कैट की 19 बेंच हैं।

उद्देश्य और संरचना:

- कैट एक विशेषज्ञ निकाय है जिसमें प्रशासनिक और न्यायिक सदस्य होते हैं जो अपने विशेष ज्ञान के आधार पर त्वरित और प्रभावी न्याय देने में सक्षम होते हैं।
- उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होता है।

परिचालन सिद्धांत:

Yojna IAS

- ट्रिब्यूनल मामलों को तय करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है और सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है।
- प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 17 के तहत, ट्रिब्यूनल को अवमानना के संबंध में उसी अधिकार क्षेत्र और अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है जो उच्च न्यायालय को है।

आज़ादी:

- अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2006 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हैं।

आदेशों के खिलाफ अपील:

- कैट के आदेशों से संबंधित मामलों को संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत एक रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है, जिसके क्षेत्राधिकार में न्यायाधिकरण की पीठ स्थित है।

Yojna IAS

लीवर की एक नई बीमारी

- हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन के साथ-साथ स्पेन, डेनमार्क और नीदरलैंड में एक रहस्यमयी लीवर की बीमारी के कुछ मामले सामने आए हैं।

क्या है यह रहस्यमयी बीमारी?

- 1 से 6 साल तक के बच्चे इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं।
- रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह बीमारी आमतौर पर सर्दी-जुकाम से जुड़े वायरस के कारण हो सकती है।
- अभी तक यह बीमारी काफी गंभीर बताई जा रही है. हालांकि अभी तक इससे किसी बच्चे की मौत नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन में छह बच्चों का लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ा है।

लक्षण:

- इसके लक्षण सामान्य यकृत रोगों जैसे हेपेटाइटिस या यकृत की सूजन के समान होते हैं, लेकिन इसका कारण अभी भी अज्ञात है।
- पीलिया, दस्त और पेट दर्द जैसे लक्षण भी देखे गए हैं।

संभावित कारण:

- प्रयोगशाला परीक्षण ने उस बीमारी के लिए हेपेटाइटिस प्रकार ए, बी, सी और ई वायरस से संक्रमण की संभावना से इनकार किया है जो आमतौर पर ऐसी बीमारियों का कारण बनती हैं। यह अभी तक ज्ञात नहीं है कि क्या अंतरराष्ट्रीय यात्रा ने बीमारी के प्रसार में भूमिका निभाई है।
- एडीनोवायरस नामक विषाणुओं का एक समूह संभवतः इसके लिए जिम्मेदार होता है, जो सामान्य सर्दी जैसे श्वसन रोगों का कारण बनता है।
- कुछ यूरोपीय बच्चे एडीनोवायरस पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि कुछ COVID-19 पॉजिटिव पाए गए हैं।
- एडिनोवायरस को आमतौर पर टीकों के लिए पसंद किया जाता है क्योंकि उनका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, जो उन्हें आनुवंशिक रूप से अधिक स्थिर बनाता है और इंजेक्शन के बाद बदलने की संभावना कम होती है।
- तो विश्लेषण के अनुसार, हेपेटाइटिस संभावित रूप से एडेनोवायरस 41 से जुड़ा हो सकता है।

Swadeep Kumar

Yojna IAS

Yojna IAS